

Bureau of Indian Standards

Ref No: PRD/Press Note/10/2022-23 Date - 02/08/2022

FOR IMMEDIATE RELEASE

BIS Implements QCOs to Ensure Quality Products

Bureau of Indian Standards (BIS) is committed to quality of products and services. The Indian Standards formulated by BIS form the basis for Product Certification Schemes, which provide Third Party Assurance of Quality of products to consumers. BIS implements Quality Control Orders (QCOs) issued by the Government which ensure that the notified products conform to the requirements of the relevant Indian Standard(s).

After the date of commencement of the QCO, no person can manufacture, import, distribute, sell, hire, lease, store or exhibit for sale any product(s) covered under the QCO without a Standard Mark except under a valid certification from BIS. As the QCOs are equally applicable to Indian manufacturers as well as foreign manufacturers, the Indian consumers are assured of the quality of such products manufactured in India as well as imported to the country.

BIS certification scheme is basically voluntary in nature. However, for a number of products compliance to Indian Standards is made compulsory by the Government taking into cognizance various considerations viz. public interest, protection of human, animal or plant health, safety of environment, prevention of unfair trade practices and national security. For these products, the Government makes it mandatory for manufacturers to follow Indian Standards and obtain BIS certification.

As on date over 450 products are under the ambit of mandatory certification. The key consumer products under mandatory certification include Cement, Electric iron, Electric immersion water heater, Domestic Food Mixer, Switches, Helmets, Domestic Pressure Cookers, Automotive tyres, Tubes, Packaged drinking water, LPG stoves, LPG cylinders, Toys etc. The key consumer electronic products under compulsory certification include Mobile phones, Laptops, TV, Power adapters, Power banks, Digital camera etc. Consumers must ensure that they purchase these products bearing ISI Mark.

QCOs are issued by various Line Ministries (Regulators) under the Central Government depending upon the product(s)/ product categories being regulated through the Order, after having stakeholder consultations. Any person who contravenes the provisions of the Order shall be punishable under the provisions of sub-section (3) of section 29 of the BIS Act, 2016 with imprisonment or with fine or with both.

Any exemptions like non-applicability of the Order on specific product(s), product(s) meant for export etc. come under the purview of the Line Ministry (Regulator) who has issued the

QCO. Wherever exemptions are permitted, these are clearly brought out in respective QCO itself.

For the purpose of facilitating the Central Government in issuance of QCOs, BIS regularly interacts with Line Ministries/ Departments and provides technical inputs related to Indian Standards, appropriate Conformity Assessment Scheme etc. and also participates in stakeholder's consultation meeting.

The information on QCOs issued by the Central Government can be obtained from BIS website (www.bis.gov.in) under the following link Conformity Assessment -> Product Certification -> Products under Compulsory Certification.

Public Relations Department



भारतीय मानक ब्यूरो

संदर्भ संख्या: पीआरडी/प्रेस नोट/10/2022-23 02/08/2022

तत्काल जारी करने के लिए

____**_**_

बीआईएस उत्पादों की गुणता को सुनिश्चित करने के लिए गुणता नियंत्रण आदेशों का कार्यान्वयन करता है

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उत्पादों और सेवाओं की गुणता के लिए प्रतिबद्ध है। बीआईएस द्वारा निर्धारित किए गए भारतीय मानक उत्पाद प्रमाणन योजनाओं का आधार हैं, जो उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणता का तीसरे पक्ष के रूप में आश्वासन प्रदान करते हैं। बीआईएस सरकार द्वारा जारी गुणता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अधिसूचित उत्पाद संगत भारतीय मानक (मानकों) की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

गुणता नियंत्रण आदेशों के प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात, कोई भी व्यक्ति गुणता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों का बीआईएस से वैध प्रमाणीकरण के अंतर्गत मानक मुहर के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर देना, पट्टे पर देना, भंडारण अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जैसा कि क्यूसीओ भारतीय निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी विनिर्माताओं पर भी समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं को भारत में विनिर्मित और देश में आयातित ऐसे उत्पादों की गुणता का आश्वासन दिया जाता है।

मूल रूप से बीआईएस प्रमाणन योजना स्वैच्छिक प्रकृति की है। हालाँकि, कई उत्पादों के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन सरकार द्वारा विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य कर दिया गया है जैसे जनहित, मानव चिच्चिच्, पशु या वनस्पति के स्वास्थ्य की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापार व्यवहार की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा। इन उत्पादों हेतु, सरकार ने निर्माताओं के लिए भारतीय मानकों का अनुपालन करना और बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

आज 450 से अधिक उत्पाद अनिवार्य प्रमाणन के $\square \square \square \square \square \square \square \square$ हैं। अनिवार्य प्रमाणीकरण के अंतर्गत मुख्य उपभोक्ता उत्पादों में सीमेंट, विद्युत इस्त्री, विद्युत निमज्जन पानी के हीटर, घरेलू खाद्य मिक्सर, स्विच, हेलमेट, घरेलू प्रेशर कुकर, वाहनों के टायर, ट्यूब, पैकेजबंद पेयजल, एलपीजी स्टोव, एलपीजी सिलेंडर, खिलौने इत्यादि शामिल हैं। अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत मुख्य उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पादों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीवजन, पावर एडॉप्टर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा इत्यादि शामिल हैं उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन उत्पादों **पर ISI** मुहर $\square \square \square \square \square \square \square \square \square$

गुणता नियंत्रण आदेशों को केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न संबंधित मंत्रालयों (विनियामकों) द्वारा स्टेकहाल्डरों से परामर्श के पश्चात् उत्पाद (उत्पादों) की श्रेणियों के अनुसार आदेशों के माध्यम से विनियमित किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत उसे कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

विशिष्ट उत्पाद (उत्पादों) के आदेश गैर प्रयोजनीयत से छूट प्राप्त है, उत्पादों का मतलब निर्यात इत्यादि के लिए है जो गुणता नियंत्रण आदेश जारी करने वाले संबंधित मंत्रालय (विनियामक) के दायरे में आते है। जहां कहीं छूट की अनुमति है, उन्हें संबंधित गुणता नियंत्रण आदेश में ही स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

गुणता नियंत्रण आदेशों को जारी करने में केंद्र सरकार की सुविधा के प्रयोजन से, बीआईएस नियमित रूप से □□□□□□□ मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करता है और भारतीय मानकों से संबंधित उपयुक्त अनुरूपता मूल्यांकन योजना इत्यादि की तकनीकी जानकारी प्रदान करता है और स्टेकहाल्डरों के परामर्श बैठक में भी भाग लेता है।

केंद्र सरकार द्वारा जारी गुणता नियंत्रण आदेशों की जानकारी बीआईएस वेबसाइट (www.bis.gov.in) से निम्नलिखित लिंक अनुरूपता आकलन -> उत्पाद प्रमाणन -> अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत उत्पाद से ली जा सकती है।

